न्यायालय :–सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
जिला जालोर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री ओम प्रकाश, आर. ए. एस.

राजस्व प्रकरण संख्या : 01/2021

अनवान

प्रार्थी :–

नवा पुत्र त्रिकमा कौम भील निवासी कमालपुरा तहसील सांचौर जिला जालोर राजस्थान

<u>बनाम</u>

अप्रार्थी :–

सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर जिला जालोर राजस्थान

प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा – 136 आर. एल. आर. एक्ट

उपस्थित

1. श्री बंशीदास वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. तहसीलदार सांचौर अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर से।

<u>निर्णय</u> **दिनांक – 06.10.2021**

संक्षिप्त में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा कमालपुरा में प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर पुराना 481 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 528/480 रकबा 0.3651 हैक्टर, खसरा नम्बर 599/481 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 600 रकबा 0.24 हैक्टर के आये हुए है। जो प्रार्थी के पैतृक सम्पत्ति के खाते हुए अन्य खातेदारों के अन्य खेतों के साथ प्रार्थी व प्रार्थी के भाई संयुक्त खातेदार थे तथा प्रार्थी व उनके भाई द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2022.05.31 11:16:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned by CamScanner

आपसी सहमति से बंटवाडा कर देने से उपरोक्त आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज की गई है। नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते समय खसरा नम्बर 481 का रकबा 0.09 हैक्टर दर्ज किया गया जबकि मौके व कब्जा काश्त अनुसार इसका रकबा 0.05 हैक्टर है तथा खसरा नम्बर 528/480 का रकबा 0.3651 हैक्टर दर्ज किया गया है जबकि मौके व कब्जा काश्त एवं नक्शा अनुसार इसका रकबा 0.4851 हैक्टर है तथा खसरा नम्बर 600/528 का रकबा 0.24 हैक्टर दर्ज किया गया है जबकि मौके व कब्जा काश्त व नक्शा ट्रेस अनुसार इसका रकबा 0.16 हैक्टर ही है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों खसरों का रकबा मौके व कब्जा काश्त व नक्शा ट्रेस अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती न कर एक लिपिकीय त्रुटी की है, जिसको मौके के कब्जा काश्त व नक्शा ट्रेस माफिक इन्द्राज किया जाना न्याय संगत है, इस हेतु यह प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड दुरूस्ती श्रीमान के समक्ष पेश है। चूंकि उपरोक्त तीनों ही खसरों के खातेदार प्रार्थी ही है अन्य किसी का हक प्रभावित नही होता है तथा प्रार्थी मौके के कब्जा काश्त व नक्शा ट्रेस माफिक संशोधन करवाना चाहता है, इसमें राजकीय हित भी प्रभावित नही होता है। अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 481 का रकबा 0.09 हैक्टर के स्थान मौके के कब्जा काश्त व नक्शा ट्रेस अनुसार इसका रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 528/480 का रकबा 0.3651 हैक्टर के स्थान पर मौके के कब्जा काश्त व नक्शा ट्रेस अनुसार इनका रकबा 0.4851 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 600/528 का रकबा 0.24 हैक्टर के स्थान पर मौके के कब्जा काश्त व नक्शा ट्रेस अनुसार इसका रकबा 0.16 हैक्टर होने से इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी का जवाब [illegible] रहा [illegible] कि हल्का पटवारी पालडी सौलकियान की पैमाइश [illegible] जालपुरा में खेत खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2022.05.31 11:16:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचोर

Scanned by CamScanner

481 का रकबा राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी अनुसार 0.09 हैक्टर है लेकिन मौके की भौतिक स्थिति व नक्शा ट्रेस माफिक इसका रकबा 0.05 हैक्टर है, खसरा नम्बर 528/480 का रकबा जमाबंदी अनुसार 0.3651 हैक्टर है जो भौतिक रूप से इसका रकबा 0.4851 हैक्टर है तथा खसरा नम्बर 600/528 का रकबा भी जमाबंदी अनुसार 0.24 हैक्टर है लेकिन भौतिक कब्जा व मौके की माठों अनुसार इसका रकबा 0.16 हैक्टर है। इस प्रकार उपरोक्त खसरों का इन्द्राज भौतिक रूप से स्थित माठों अनुसार दर्ज किये जाने से राजकीय हित प्रभावित नही होता है।

बहस अंतिम उभय पक्षकारान की सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यान पूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने वहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा अप्रार्थी ने भी प्रस्तुत जवाव के तथ्यों को बहस में दोहराया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 24.02.2021 का अवलोकन किया गया।

अतः तहसीलदार सांचौर के जवाब एवं मौका फर्द रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया सावित है कि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते समय खसरा नम्बर 481 का रकबा 0.09 हैक्टर दर्ज किया गया जबकि मौके व कब्जा काश्त अनुसार इसका रकबा 0.05 हैक्टर है तथा खसरा नम्बर 528/480 का रकबा 0.3651 हैक्टर दर्ज किया गया है जबकि मौके व कब्जा काश्त तथा नक्शा ट्रेस अनुसार इसका रकबा 0.4851 हैक्टर है तथा खसरा नम्बर 600/528 का रकबा 0.24 हैक्टर दर्ज किया गया है जबकि मौके व कब्जा काश्त व नक्शा ट्रेस अनुसार इसका रकबा 0.16 हैक्टर ही है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों खसरों का रकबा मौके व कब्जा काश्त व नक्शा ट्रेस अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती न कर एक [illegible] त्रुटि की है। जिसको मौके के कब्जा काश्त व नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त [illegible] इन्द्राज किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसी अनुसार तहसीलदार सांचौर को राजस्व रेकर्ड में खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2022.05.31 11:16:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचोर

Scanned by CamScanner

नम्बर 481 का रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 528/480 का रकबा 0.4851 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 600/528 का रकबा 0.16 हैक्टर इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर

(ओम प्रकाश)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर

(ओम प्रकाश)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2022.05.31 11:16:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner